राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

प्रकाशक :
NCCD
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली-भारत
का स्वायत्त संगठन

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र
645, ए- विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

वित्त-वर्ष 2013-14 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

ए. लेखा एवं लेखापरीक्षा 1

बी. स्थापना एवं एच.आर. स्थिति(स्टेट्स) 1

सी. सोसायटी सदस्यता स्थिति (स्टेट्स) 2

डी. क्षमता निर्माण और ज्ञानप्रसार की पहल 3

ई. अनुप्रयुक्त शोध एवं अध्ययन 5

एफ. आउटरीच और जागरूकता अभियान(कार्यशाला, सेमीनार, अन्य) 6

जी. वेबसाइट एवं अन्य बातचीत(इंटरेक्शन्स) 8

एच. सलाहकार एवं अन्य सहयोग 8

आई. एन.सी.सी.डी.-उद्देश्य एवं विषयपरक 11

जे. एन.सी.सी.डी की कार्यकारिणी(स्टेट्स) 12

के. एन.सी.सी.डी की शासी(गवर्निंग) परिषद(स्टेट्स) 13

एल. वर्ष 2013-14 में एन.सी.सी.डी भागीदारी के साथ कार्यक्रम, कार्यशालाओं की सूची..... 14

एम. प्रयुक्त संक्षिप्ति एवं परिभाषाएं 16

के. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा..... 17

वित्त वर्ष 2013-14 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

ए. लेखा एवं लेखापरीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के बाद डी.ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु. को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान करना था । इसके अलावा ब्याज की आय, जिसमें से एन.सी.सी.डी. द्वारा प्रशासित सेवाओं के लिए फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि इसे शासी परिषद(गवर्निंग काउंसिल) द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की जाती है कि इसमें दिन-प्रतिदिन आधार पर प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी कम होती जा रही है और सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

कार्यकारिणी के अनुमोदन के बाद एन.सी.सी.डी के पिछले तीन वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 के खातों का लेखा-जोखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकगत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स उमेश बाबू अग्रवाल द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी ।

वित्त वर्ष 2013-14 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सारांश निम्नलिखित है :

मद	रुपए लाख में
ब्याज तथा अन्य से आय	304.60
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	44.19
व्यय से अधिक आय	260.41
घटाएं : आयकर का प्रावधान	64.26
जनरल रिजर्व से अंतरित शेष	196.15
कुल	260.41

वित्त वर्ष 2013-14 हेतु लेखापरीक्षित खाते संलग्न हैं ।

बी. स्थापना एवं एच.आर. स्थिति(स्टेट्स)

श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) ने फरवरी, 2013 से एन.सी.सी.डी. के निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे । उद्योग से कोल्ड-चेन विशेषज्ञ श्री पवनेष कोहली ने अक्तूबर, 2012 से मुख्य सलाहकार के रूप में निदेशक की सहायता करते रहे ।

www.nccd.gov.in
011-23061595

डी.ए.सी. द्वारा निर्माण भवन के ए-विंग के कमरा संख्या 645 में आबंटित कार्यालय को मई, 2013 में नवीकरण के बाद परिचालन में लाया गया था । 1 अप्रैल, 2003 को एन.सी.सी.डी. में कार्यरत जनशक्ति (मैन पावर) की संख्या 3 थी, जिसमें से दो सहायक कर्मचारी सेवा छोड़ चुके थे । कार्यकारिणी(ई.सी.) को सूचित किया गया कि अतिरिक्त सहायक कर्मचारियों और सलाहकारों को न्यूनतम रेस्पॉन्स दिया गया । विद्यार्थी के लिए मध्यावधि भुगतान प्रशिक्षुता(इंटर्नशिप) कार्यक्रम विद्यार्थी समुदाय को शोध गतिविधियों में सम्मिलित करने, कोल्ड-चेन को दिशा(एक्सपोजर) प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया । इसके अलावा समर्पित अनुभवी कर्मचारियों सहित एन.सी.सी.डी को मजबूत करना कार्यकारिणी(ई.सी.) में प्रस्तावित किया गया था।

कार्यकारिणी(ई.सी.) ने दिनांक 03-9-2013 को संपन्न अपनी बैठक में एन.सी.सी.डी द्वारा विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया और सिफारिश की कि युवा पेशेवरों सहित उद्योग से सक्षम कौशल और उचित अनुभव वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए । फिर सलाहकार बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि एन.सी.सी.डी. को परिचालन तथा कार्यकारी दिशा प्रदान करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्तियों में वृद्धि करके संगठन को मजबूत किया जाए । प्रतिभा पर विश्वास तथा ज्ञान आधारित केंद्र के रूप में यह उद्योग के दिग्गजों से सम्मानजनक नेतृत्व की भर्ती को लक्षित करने के लिए सहमत हुआ था । संगठन आवश्यक नीति स्तर समर्थन प्रदान करने के लिए अपने निदेशक के रूप में संयुक्त सचिव एन.एच.एम. के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत कार्य करता रहेगा । उद्योग और सरकार के बीच साझा नेतृत्व पी.पी.पी मोड के तहत कार्य करना अनिवार्य है । इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने संगठनात्मक संरचना का पुनरीक्षण किया और संशोधित स्टाफिंग मानदंडों को तद्नुसार अनुमोदित किया ।

नवंबर, 2013 में डी.ए.सी. ने उद्योग के मानकों के अनुरूप पारिश्रमिक वाले उम्मीदवारों को आमंत्रित करते हुए शुरू में छह पदों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन दिया । चयन समिति को कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए थे । विज्ञापित पदों को फरवरी 2014 से चयनित उम्मीदवारों द्वारा भरा गया था । श्री पवनेष कोहली को दिनांक 01-02-2004 से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए एन.सी.सी.डी. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए चुना गया था और शेष पदों के लिए इंजीनियरों और सामान्यवादियों सहित 5 अन्य व्यक्तियों का चयन किया गया ।

एन.सी.सी.डी. की कार्यरिणी ने 13 व्यक्तियों की कर्मचारी संख्या की मंजूरी दी जिसके प्रति दिनांक 31-3-2014 को सी.ई.ओ. के पद सहित कुल 7 पद भरे गए हैं ।

एन.सी.सी.डी. की कार्यकारी समिति में सचिव(डी.ए.सी.) के अध्यक्षता में 10 सदस्य होते हैं । शासी निकाय(गवर्निंग काउंसिल) में अध्यक्ष के रूप में सचिव(डी.ए.सी.) के तहत 14 सदस्य होते हैं। ई.सी. तथा जी.सी. सदस्यों की सूची संलग्न है ।

सी. सोसायटी सदस्यता स्थिति(स्टेट्स)

एन.सी.सी.डी. सदस्यता मानदंडों को संशोधित किया गया था और जनवरी, 2013 से व्यापक हितधारकों को शामिल करने के लिए खोला गया था । दिनांक 31-03-2014 तक एन.सी.सी.डी. में 45 सदस्यता सक्रिय सदस्य थे, जिनमें एक संरक्षक सदस्य-सी.आई.आई.(एफएसीई) शामिल था, जिन्होंने कॉर्पस में 20 लाख रुपए का योगदान दिया ।

एफ.आई.सी.सी.आई., समाज के संस्थापक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक ने मूल प्रतिबद्धता के अनुसार कॉर्पस में योगदान करने में अपनी असमर्थता सूचित की । यह निर्णय लिया गया था कि एन.सी.सी.डी. के सदस्य के रूप में एफ.आई.सी.सी.आई. को ई.सी. तथा जी.सी. में दर्जा(स्टेट्स) बनाए रखने नहीं दिया जा सकता है। कार्यकारी समिति(ई.सी.) ने सिफारिश की कि कंपनियों से सदस्य भागीदारी और सहयोगी के रूप में जमीनी स्तर पर इनपुट लाने और कोल्ड-चेन विकास में भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है ।

श्रेणी-फीस (रु.)	वार्षिक	जीवनपर्यंत	कुल
कपनी-सी (50,000 / 4,00,000)	23	2	25
एसोसिएट- ए (10,000)	14	-	14
शैक्षिक संस्थान – आर (शून्य)	4	-	4
संरक्षक- पी (20,00,000)	-	1	1
उत्पादक - जी (कुल बिक्री <5 लाख- शून्य; अन्य- 10,000)	1	-	1
उद्योग निकाय - I (75,000 / 5,00,000)	-	-	-
	42	3	45

वित्त वर्ष 2013-14 में प्राप्त सदस्यता फीस रु. 39.48 लाख है ।

एन.सी.सी.डी. के साथ शिक्षण संस्थानों को शामिल करने की पहल की गई थी । कार्यकारिणी ने ध्यान दिया और निजी तथा सार्वजनिक शिक्षा और अकादमिक संस्थानों में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करने और विश्वविद्यालय स्तर पर नवाचार विकसित करने के लिए बातचीत में वृद्धि और सिफारिश की ।

डी. क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार की पहल

एन.एच.एम. की ई.सी. ने अनुमादित किया कि एन.सी.सी.डी. अप्रैल, 2012 में एन.एच.एम. की राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी(एन.एल.ए.) के रूप में भूमिका निभा सकती है । हालांकि, एन.एल.ए. के रूप में भूमिका नवबंर, 2013 के बाद ली गई थी और एन.एल.ए. आबंटन से व्यय को आवश्यकतानुसार एन.एच.एम. कार्यक्रम का सहयोग करने के लिए दर्ज किया गया था ।

रिफर वाहन कॉल-इन-सेंटर(आर.वी.सी.)

रिफर वाहन कॉल-इन-सेंटर: एन.सी.सी.डी. ने प्रस्ताव दिया कि सरकार ट्रांजिट ऑपरेशनल और नियामक चुनौतियां/ देरी के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए रिफर ट्रांसपोर्टर्स/ऑपरेटर्स हेतु एक टोल फ्री नंबर प्रदान करती है । प्राप्त शिकायतों और उपयुक्त निवारण और अन्य दीर्घकालिक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी को केंद्रीयकृत रूप में दर्ज किया जा सकता है । सिफारिश को नोट किया गया था और एन.सी.सी.डी. द्वारा अनुमोदित किया गया था । पहल करने के लिए एन.एच..एम. को वार्षिक कार्रवाई योजना में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । कोल्ड-चेन में इस घटक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से बढ़ी हुई रूचि दिखाने के लिए टोल फ्री अवधारणा भी थी ।

प्रशिक्षण पहल

एन.सी.सी.डी. ने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों(राष्ट्रीय बागवानी मिशन(एन.एच.एम.) के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता को सुदृढ़ करने) को शुरू करने के लिए एन.सी.सी.डी. के एक सदस्य, उत्कृष्टता के आई.सी.आई केंद्र का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा । कार्यकारिणी ने कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम से रोलिंग आउट को मंजूरी दे दी है जो एन.एच.एम. के एन.एल.ए. के लिए प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है । इसके बाद एन.एल.ए. प्रावधानों के तहत किए गए आबंटन के अनुसार मांग आधारित गतिविधियां ली जाती हैं ।

ऑन-साइट स्थित रिपेनिंग चैम्बर्स

तीन प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक सेट विशेष रूप से "रिपेनिंग चैम्बर्स" के संचालन के लिए शुरू किया गया था । इन्हें जनवरी एवं फरवरी 2014 के बीच आंध्र प्रदेश के तीन शहरों में आयोजित किया गया था और 98 प्रतिभागियों को रु.4.70 लाख की लागत में प्रशिक्षित किया गया था जो एन.एच.एम. के एन.एल.ए. के रूप में आबंटन से लेकर कार्ययोजना तक वास्तविक रूप में वहन किया गया था । इन सत्रों को राज्य सरकार ने डिवीजनल जनसंपर्क अधिकारी(डीपीआरओ) के माध्यम से प्रचारित किया और स्थानीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया । परिणामस्वरूप, प्रति बैच 25 विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने की प्रारंभिक योजना से अधिक रेस्पांस आया । उद्यमियों से ब्याज उत्पन्न करने के लिए बैंक अधिकारियों(आई.ओ.बी. एवं कैनरा बैंक) ने इस क्षेत्र के लिए ऋण प्रक्रिया को समझाने के लिए सत्र आयोजित किए ।

रिपेनिंग कक्ष आधारिक संरचना मालिकों द्वारा कुशल ऑपरेटरों की कमी और अक्षम संचालन के बारे में मांग और चिंता व्यक्त करने के बाद प्रायोगिक(पायलट) प्रशिक्षणों को शुरू किया गया था । प्रायोगिक प्रशिक्षण ने मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं को लक्षित किया और पाठ्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित पकने(रिपेनिंग) वाली प्रणालियों के बारे में जागरूकता पैदा करना था ।

मूल्यांकन के दौरान यह महसूस किया गया था कि प्रशिक्षण को उद्यमी विकास पर केंद्रित किया जा सकता है ताकि समर्थन तंत्र(सपोर्ट मेकेनिज्म) और सुरक्षित फल पकने(रिपेनिंग) के बारे में जागरूकता फैल सके । "तीन का नियम" के बाद, तीन प्रशिक्षणों के पहले सेट से प्रतिपुष्टि(फीडबैक) का मूल्यांकन किया जा रहा है, और यदि संतोषजनक पाया जाता है, यह आशा की जाती है कि गतिविधि को एन.एच.बी. के तकनीकी समूह और राज्य मिशनों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है ।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

एन.सी.सी.डी. ने चेन्नई में डानफोस्स इंडिया(एन.सी.सी.डी. के श्रेणी-सी के सदस्य),प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। उपकरणों तथा नियंत्रण और आधुनिक क्लास रूम और डेमो उपकरणों वाले एक मिनी ऑपरेशनल अमोनिया

कोल्ड स्टोर की संस्थापना का निरीक्षण किया गया था । इसके बाद एन.सी.सी.डी. ने उन्नत ऊर्जा बचत तकनीकों के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला(सप्लाई चेन) और इन्वेंट्री प्रबंधन अवधारणाओं को समझने के लिए एक्सपोजर प्रदान करने हेतु एक पाठ्यक्रम विकसित किया । एक पाठ्यक्रम को सरकारी और निजी क्षेत्र के निर्णयकर्ता को प्रशीतन में तकनीकी जानकारी देने और अल्प जीवन के पेरिशेबल उत्पादों के संबंध में एकीकृत कोल्ड-चेन की विभेदित अवधारणा को समझाने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया था ।

कार्यक्रम को तीन-दिवसीय आवासीय पाठ्यक्रम के रूप में विकसित किया गया था और जिसे पहले तीन बैचों के 46 प्रतिभागियों ने मार्च, 2014 तक कुल रु.4.7लाख की लागत में शुरू किया गया था । एन.एल.ए. की वार्षिक कार्य योजना को एन.एच.एम. द्वारा आबंटन से वास्तविक लागत में पूरा किया गया । कर्नाटक, गुजरात, केरल, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने प्रशिक्षणों में भाग लिया है । पहली तीन कार्यशालाओं के बाद उपस्थित लोगों की प्रतिपुष्टि(फीडबैक) से पाठ्यक्रम में संशोधन, किसी भी आगे के पाठ्यक्रमों के बारे में निर्णय लेने हेतु, यदि कोई हो, के लिए नेतृत्व किया जाएगा ।

अधिक क्षमता निर्माण की योजना

एन.सी.सी.डी. ने 3 अप्रैल, 2013 को फ्रांस के सेमाफ्रोइड के साथ कोल्ड-चेन क्षमता निर्माण के संदर्भ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । चल रहे जी2जी इंटरैक्शन के रूप में और कृषि पर भारत-फ्रांस संयुक्त वर्किंग ग्रुप को आगे बढ़ाने में, फ्रांस सरकार ने सह-वित्त विशेष प्रशिक्षणों के लिए सहमति व्यक्त की है जो एन.सी.सी.डी. तथा सेमाफ्रोइड द्वारा आयोजित की जा सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय ए.टी.पी नियमों के साथ सद्भाव में वैश्विक सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस, ऊर्जा प्रबंधन, परियोजना लेखापरीक्षा और परिचालन क्षमता के लिए आवश्यक एक्सपोजर प्रदान करने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है । प्रत्येक बैच में राज्य सरकार के दोनों अधिकारी(नोडल कोल्ड-चेन अधिकारी) और एन.सी.सी.डी; के सदस्यों से नामित व्यक्ति शामिल होंगे ।

ई. अनुप्रयुक्त अनुसंधान और अध्ययन

पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा

एन.सी.सी.डी. ने मेघालय में 1 से 14 अप्रैल, 2014 के बीच मेघालय बेसिन विकास प्राधिकरण तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स(एमबीडीए/एमआईई) मेघालय सरकार के अधिकारी के आमंत्रण पर राज्य में किसानों की बढ़ती सब्जियों, फलों, फूलों और नकदी फसलों जैसें काजू और सुपारी के परिवहन और लॉजिस्टिक चुनौतियों का अध्ययन करने हेतु एक दौरे का आयोजन किया ।

यह इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में पिछले वर्ष के पहले अध्ययन दौरे का अनुवर्ती था । एम.आई.ई ने इस दौरे में 10 प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण और एक्सपोजर के हिस्से के रूप में भेजा । टीम में पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, पूर्वी जैतिया हिल्स, पश्चिमी जैतिया हिल्स, री भोई, पश्चिमी गारो हिल्स, दक्षिणी गारो हिल्स, दक्षिणी पश्चिमी गारो हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स तथा पूर्वी गारो हिल्स के जिले शामिल किए । इस यात्रा के दौरान 2,000 किमी की दूरी तय करते हुए टीम ने कई गांवों में 250 से अधिक किसानों से बातचीत की। अध्ययन दौरे तथा आपसी संवाद का संचालन नि:शुल्क किया गया था और डी.ए.सी. अथवा एन.सी.सी.डी. द्वारा कोई लागत वहन नहीं की गई थी ।

इस दौरे को जिला बागवानी अधिकारियों और उनकी संबंधित टीमों को समर्थन प्राप्त था । किसानों की सहायता करने के लिए उनकी गतिविधियों को समझने के लिए टीम ने कुछ राज्य संचालित हॉर्टी-हब्स का भी दौरा किया । एम.बी.डी.ए.(मेघालय बेसिन विकास प्राधिकरण) द्वारा प्रकाशित की जा रही एक पुस्तक "सिटीजन की रिपोर्ट" के हिस्से के रूप में इस समिति समर्थित दौरे की रिपोर्ट जारी की जा रही है ।

जम्मू और कश्मीर के सेब मूल्य चेन

एन.सी.सी.डी. के मुख्य सलाहकार ने सेब के लिए योजनाबद्ध हस्तक्षेप पर नाबार्ड, जम्मू और कश्मीर बैंक के साथ राज्य अधिकारियों जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक में डी.ए.सी. का प्रतिनिधित्व किया । 13-14 अगस्त, 2013 को इस संवाद के परिणास्वरूप नाबार्ड द्वारा सेब मूल्य चेन का अध्ययन और कायाकल्प तथा सी.ए. कोल्ड स्टोरेज आधारिक संरचना सहित एन.सी.सी.डी. से जोड़े गए इनपुट का पुनर्मूल्यांकन किया गया था । नाबार्ड के अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि एन.सी.सी.डी. व्यावसायिक मॉडलिंग के सभी सी.जी.एम. स्तर के अधिकारियों को कोल्ड-चेन अवधारणा स्तर प्रशिक्षण प्रदान करे ।

मधुमक्खी प्रवास(माइग्रेशन) यूनिट

एन.सी.सी.डी. को मधुमक्खियों के प्रवास के समर्थन के लिए एक नवीन इकाई के विकास के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड(एन.बी.बी.) की समीक्षा करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया था । इस विकास से एक विशेष तापमान नियंत्रित वाहन बनेगा जो ~14°C पर आंतरिक वातावरण का प्रबंधन करेगा जो मधुमक्खियों को लम्बी दूरी के प्रवास के लिए उपयुक्त मोड प्रदान करेगा । यह ट्रांसपोर्ट मोड उष्मायान परिवेश के कारण प्रवास के दौरान कीटों के निधन को रोकने में सहायता करेगा । बी.एम.यू. प्रायोगात्मक है और अपने प्रकार का पहला है ।

इस परियोजना में इंसुलेटिंग मेटीरियल के साथ क्लैडिंग करके, माइल्ड चिल कूलिंग मशीन की तैनाती और मधुमक्खी के बॉक्सों के लोडिंग और ऑफ-लोडिंग के लिए एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म का प्रावधान है । वाहन को संग्रह के बाद कच्चे शहद को स्टोर करने और परिवहन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है । पायलट भविष्य में वैकल्पिक एपियर हैंडलिंग विकल्पों के मूल्यांकन की अनुमति देगा और जो विकास के अधीन है ।

एफ. आउटरीच और जागरूकता (कार्यशाला, सेमीनार, अन्य)

राज्यों के नोडल अधिकारी

अक्तूबर, 2013 में एन.एच.एम. ने राज्य मिशनों से अनुरोध किया कि वे कोल्ड-चेन विकास(एनआसीडी) के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करें, जो कोल्ड-चेन मामलों पर एन.सी.सी.डी. के साथ विकास गतिविधियों और संपर्क के लिए ध्यान दें । 11 राज्यों ने एन.एच.एम. को वापस कर दिया और एन.ओ.सी.डी. को नामांकित किया जो एन.सी.सी.डी. को अग्रेषित कर दिया गया । एन.ओ.सी.डी. को कोल्ड-चेन पहल में तेजी लाने के लिए प्रासंगिक क्षमता बनाने के इरादे से कोल्ड-चेन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।

राज्य स्तरीय कार्यशालाएं

एन.सी.सी.डी. ने पूर्वोतर राज्यों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ कोल्ड-चेन विकास पर तीन कार्यशालाएं आयोजित की । ये कार्यशालाएं इन राज्यों में पहली बार आयोजित की गई थीं और एन.एच.एम. द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के लिए किए गए आबंटन से कुल रु. 4.56 लाख की लागत आई थी । कार्यशालाओं ने कोल्ड-चेन की अवधारणा को एक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के रूप में प्रस्तुत किया, जो उत्पादकों को कई उपभोग बाजारों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त बना सकता है । बागववानी, डेयरी, पशु चिकित्सा, कृषि, पशुधन, मत्स्य, केवीके, विपणन बोर्ड इत्यादि से कुल 181 अधिकारियों ने भाग लिया ।

अन्य कार्यशालाएं और संगोष्ठियां

3-4 अप्रैल, 2013 को पेरिस में आयोजित कोल्ड-चेन और निरंतरता(सस्टेनेबिलिटी) पर आई.आई.आर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मान गारद के रूप भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री पवनेष कोहली(मुख्य सलाहकार) को आमंत्रित किया गया । इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन(आई.आई.आर.) एकमात्र स्वतंत्र सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर प्रशीतन और संबंधित तकनीकों और अनुप्रयोगों के ज्ञान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है ।

5 एस.आई. एशियाई देशों में होने वाले निवेश गोलमेज के लिए एन.सी.सी.डी. के मुख्य सलाहकार को डी.आई.पी.पी. द्वारा आमंत्रित किया गया था । पिछले वर्ष में एक गोलमेज सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था और इस वर्ष एन.सी.सी;डी. ने दिनांक 21-05-2013 को बैंकाक में आयोजित गोलमेज में भारत की वेयरहाउसिंग क्षेत्र में निवेश के अवसर पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें तीन सदस्यीय टीम के भाग के रूप में

सचिव, (डीआईपीपी) के नेतृत्व में सीईओ,डीएमआईसीडीसी शामिल थे ।

एन.सी.सी.डी. ने इस क्षेत्र में "सदाबहार एग्रीफूड उत्पादों के लिए कोल्ड-चेन सिस्टम के विकास" पर अपनी पहली कार्यशाला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन(ए.पी.ओ.) और एन.पी.सी. के साथ आयोजन का भागीदार था । 24-28 मार्च, 2014 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में 13 देशों के अधिकारियों ने भाग लिया था ।

एन.सी.सी.डी. हस्तक्षेप और गतिविधियों के बारे में शिक्षण पर प्रतिनिधियों को उपस्थित होने संबंधी पृष्ठांकन शीघ्र एन.सी.सी.डी द्वारा प्राप्त हुआ था; इस कार्यशाला की एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि प्रत्येक प्रतिनिधि देश में 'एन.सी.सी.डी.' भी स्थापित किया जाए ।

9-13 फरवरी, 2014 तक नागपुर में कृषि वसंत कार्यक्रम में एन.सी.सी.डी. ने फार्म-टू-फोर्क सप्लाई अवधारणा का प्रदर्शन करने के लिए एक स्टाल लगाया था और मुख्य सलाहकार ने इस परस्पर संवादात्मक कार्यशाला का आयोजन किया ।

Group1: Southeast Asian countries: Cambodia, Republic of China, Fiji, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Thailand

Activity step 2	Objectives/features/ topics	Target participants	Responsible party/Convenor
Training on technology on CCS	Types of CCS Design and construction of facility Time-temperature	Government, farmer, Coop, Private sector, Academic, Financial institution	Ministry of Agriculture and Cooperatives Local NPC, private sector
Promotion of CCS (fair, convention, event, etc.) year round	To create awareness and benefits on CCS Develop networking	Farmer, government, private sector	APO, government, private sector
Set up the NCCD in each country	To establish and implement CCS in each country	Farmers, private sector	Government

Part of action plan recommendations by

4 अक्तूबर, 2013 को रक्षा मंत्रालय ने एन.सी.सी.डी के मुख्य सलाहकार तथा डी.आर.डी.ओ. के अधिकारियों के बीच शीतलन

नवाचारों और उनके द्वारा अपनाए जा सकने वाले अनुप्रयोगों पर चर्चा करने के लिए एक आधे दिन की बैठक आयोजित की । एन.सी.सी.डी. ने नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में कोल्ड-चेन में वैकल्पिक ऊर्जा अनुप्रयोगों पर एक बातचीत की। यह संबोधन विशेष रूप से डिवीजन प्रमुखों, वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों के लाभ के लिए था, जिसमें एम.एन.आर.आई. की अध्यक्षता में लगभग 30 अधिकारी उपस्थित थे । आगामी एम.आई.डी.एच. के तहत कोल्ड-चेन के लिए संबंधित XIIवीं योजना के हस्तक्षेप पर भी चर्चा की गई । अनुवर्ती कारवाई के रूप में मुख्य सलाहकार ने एम.एन.आर.ई. के सौर ऊर्जा केंद्र का भी दौरा किया और उन्हें नवीन अनुप्रयोगों पर मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया ।

एन.सी.सी.डी. को अपने सदस्यों के साथ कोल्ड-चेन परियोजनाओं के वित्तपोषण पर नाबार्ड की वरिष्ठ कार्यकारी टीम के लिए एक विशेष कार्यशाला में ज्ञान सहायता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था । नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ विंडों के प्रावधानों के तहत कोल्ड-चेन परियोजनाओं के लिए सीधे वित्तपोषण को लागू करने की यह पहल थी । इस 5 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य सलाहकार ओर विभिन्न एन.सी.सी.डी; सदस्यों ने वरिष्ठ टीम को व्यापार मॉडल और संबंधित आधारिक संरचना की समझ को प्रस्तुत करने, भंडारण, परिवहन और फार्म गेट पर पैक-हाउस के लिए संबोधित किया । ब्रिटिश उच्च आयोग ने कृषि और खाद्य विकास पर एन.सी.सी.डी. के मुख्य सलाहकार के साथ अखिल पार्टी संसदीय समूह(एपीपीजी) से यू.के. के संदस्य सदस्यों के लिए एक आधे दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया । एन.एच.एम. ने एन.एल.ए. के रूप में रु. 45.5 लाख की आबंटित धनराशि से रु.17.7 लाख की लागत से कुल 6 कार्यशालाओं और सेमिनारों का समर्थन किया गया था । इस वर्ष में एन.सी.सी.डी. ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 30 से अधिक कार्यशालाओं और सम्मेलनों को संबोधित किया(सूची संलग्न)।

जी. वेबसाइट और अन्य बातचीत

एन.सी.सी.डी. डोमेन को मई, 2013 में मंजूरी दे दी गई थी और अक्तूबर, 2013 में एन.आई.सी. सुरक्षा लेखापरीक्षा के बाद स्वतंत्र वेबसाइट (www.nccd.gov.in) को शुरू(लांन्च) किया गया था ।

एन.सी.सी.डी. की कार्यकारिणी (ई.सी.) ने विभिन्न सम्मेलनों और सेमिनारों में लोगों के समर्थन और तकनीकी सहायता पर ध्यान दिया, विशिष्ट सम्मेलनों में पूर्ण सहयोग के साथ जहां एन.सी.सी.डी. स्वयं मुख्य संयोजक है । कार्यकारिणी ने अधिक से अधिक सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने को प्रोत्साहित किया, जो कोल्ड-चेन से संबंधित अधिक से अधिक भागीदारी और सुझावों को प्राप्त करने और हितधारकों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को पहचानने के लिए होंगे । मुख्य सलाहकार को कोल्ड-चेन अवधारणाओं को साझा करने के लिए मंत्रालय में नियमित एस.ओ.एम. में भाग लेने के लिए कहा गया था । एन.सी.सी.डी. ने XIIवीं योजना के आबंटन और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए संसदीय समिति की बैठकों और व्यय वित्त समिति की बैठकों में भी सहभागिता की ।

एच. सलाहकार एवं अन्य सहायता

ए) कोल्ड-चेन योजना को तर्कसंगत बनाना :

कोल्ड-चेन संबंधी मौजूदा सहायता योजनाओं पर एन.सी.सी.डी. द्वारा इनपुट्स और सिफारिशों के आधार पर आगामी एन.आई.डी.एच के ऑपरेटिंग दिशा-निर्देशों के लिए विभिन्न संशोधन हुए । महत्पूर्ण आधारिक संरचना मदों जैसे कि एकीकृत पैक-हाउस और दक्षता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न घटक पहली बार सम्मिलित किए

गए थे । एक घटक के रूप में कोल्ड-स्टोर को फिर से परिभाषित किया गया और लागत मानदंड यथानुपात, अनपेक्ष आकार छोड़ने के बजाए वर्गीकृत किए गए थे। नियंत्रित वातावरण कोल्ड-स्टोरेज उपकरण को युक्तिसंगत बनाया गया, और वैकल्पिक ऊर्जा जोड़ी गई ।

एन.सी.सी.डी. को जुलाई, 2103 में राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन(एन.एच.सी.) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था । यह पिछली प्रैक्टिसेस से अलग था और पहली बार एक गैर सरकारी अधिकारी ने एन.एच.सी. में पूर्ण उद्घाटन सत्र को संबोधित किया । सम्मेलन में राज्यों, कृषि विश्वविद्यालयों, आई.सी.ए.आर. संस्थानों से एन.एच.एम. के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और सभा को कोल्ड-चेन की अवधारणा की आवश्यकता पर बल देने के लिए प्रेरित किया गया था । माननीय कृषि मंत्री ने एन.सी.सी.डी. के मुख्य सलाहकार के संबोधन को संदर्भित किया और कोल्ड-चेन की आधारिक संरचना के विकास को सवोच्च महत्व देने का आह्वान किया ।

लागत मानदंडों और दिशानिर्देशों का व्यापक युक्तिकरण, इसके बाद एन.सी.सी.डी. की सलाह पर विशेष इनपुट के साथ किया गया और इसके परिणामस्वरूप बचत हुई, जिसे अन्य आवश्यक क्षेत्रों में समर्थन के अधिक प्रसार के लिए पुन: प्राप्त किया जा सकता है । जनवरी,2014 में एन.सी.सी.डी. ने एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लेक्स में आयोजित एम.आई.डी.एच. दिशानिर्देशों पर राष्ट्रीय कार्यशाला में सभी राज्यों को संबोधित किया, ताकि बाद में 2014 में शुरू की जाने वाली तर्कसंगत योजना पर अधिकारियों को अद्यतन किया जा सके ।

बी) एम.आई.डी.एच के साथ समर्थन और भागीदारी :

एन.सी.सी.डी. ने एन.एच.एम की परियोजना मूल्यांकन समिति(पी.ए.सी.) की बैठकों और ई.एम.सी. बैठकों में सहभागिता की । एन.एच.एम के लिए कुल 120 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया और 57 परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए रु.11.4 लाख का सेवा शुल्क लिया गया । इसके अतिरिक्त गुजरात और पश्चिम बंगाल में 5 कोल्ड-स्टोर परियोजनाओं के लिए एन.सी.सी.डी. ने संयुक्त निरीक्षण दल(जे.आई.टी) में भाग लिया।

रेलवे के अधीन बागवानी ट्रेन चलाने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता का मूल्यांकन किया और एन.एच.बी. के लिए संदर्भ की शर्तें विकसित कीं । एन.सी.सी.डी. ने कोल्ड-चेन उद्योग के लिए एन.एच.बी. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया । एम.आई.डी.बी. के लिए विकसित किए जा रहे नए दिशानिर्देशों में एन.एच.बी. इनपुट पर विचार किया गया और उसे शामिल किया गया है । एन.सी.सी.डी. को राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों में से एक के रूप में एन.एच.एम. की कुछ मांग संचालित गतिविधियों के साथ काम सौंपा गया है ।

सी) समीक्षा और मूल्यांकन :

एन.सी.सी.डी. कृषि मंत्रालय को कोल्ड-चेन और एग्री-लॉजिस्टिक्स मामलों पर सलाह प्रदान करता है । इसमें विभाग को भेजे गए विभिन्न इनपुटों का मूल्यांकन, राज्यों और अन्य एजेंसियों के प्रस्ताव, बाहरी सलाहकारों/शोधकर्ताओं से रिपोर्ट प्राप्त करना, आधारित संरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन और निरीक्षण करना शामिल है । एन.एच.एम द्वारा अन्य एन.एल.ए से प्राप्त रिपोर्ट की एक समर्थन तंत्र के रूप में समीक्षा. की जाती है ।

डी) डी.ए.सी और एस.ए.ए.आर.सी :

एन.सी.सी.डी ने एस.ए.ए.आर.सी देशों में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन कैचमेंट्स में फलों के मूल्यवर्धन

पर एस.ए.ए.आर.सी विकास निधि(एस.डी.एफ.) के तहत एक प्रोजेक्ट पर व्यापक इनपुट प्रदान किए गए और मूल्यांकित किए गए । एस.डी.एफ परियोजना का फल उत्पादन क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर था । चुनिंदा राज्यों में कार्यान्वयन के लिए डी.ए.सी. के लिए एक व्यापक परियोजना विकसित की गई थी ।

ई) डी.ई.ए. और नाबार्ड एजेंसिया :

एन.सी.सी.डी ने अन्य लोगों के साथ डी.ई.ए; के साथ कोल्ड-चेन के लिए उपयुक्त पी.पी.पी. मॉडल विकसित करने के लिए चर्चा में योगदान दिया । नाबार्ड द्वारा परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋण प्रावधान के साथ कोल्ड-चेन के लिए योजनाबद्ध वेयरहाउसिंग इंफ्रा निधि की सहायता के लिए नाबार्ड के साथ कई बातचीत की गई ।

एफ) विश्व बैंक :

विश्व बैंक(साउथ एशिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट, वाशिंगटन) के वरिष्ठ अर्थशास्त्री के साथ बातचीत की गई, जिसने वर्ष 2009 में बैंक द्वारा बागवानी पर अंतिम अध्ययन के रूप में खाद्य नुकसान सहित परेशिबल्स के लिए कटाई के बाद(पोस्ट हार्वेस्ट) के प्रबंधन के क्षेत्र में विश्व बैंक की भविष्य की पहल का आकलन करने और उसकी योजना बनाने में मदद करने के लिए एक अध्ययन का प्रस्ताव किया था । नवंबर 2013 में कृषि मंत्रालय में एक बैठक के बाद, बैंक ने एन.सी.सी.डी. के साथ विकसित एक अवधारणा नोट रखा, जिसका उद्देश्य मांग/खपत संरचना की जांच करना, अवसंरचना क्षमता का अनुमान लगाना, कटाई के बाद(पोस्ट हार्वेस्ट) के प्रबंधन में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और भारत के लिए निवेश की जरूरतों की रूपरेखा तैयार करना है । यह बताया गया कि बैंक ने इसे एक रणनीतिक क्षेत्र में उचित ध्यान केंद्रित करने के लिए, पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान पर बेहतर समझ बनाने की जरूरत थी । एन.सी.सी.डी. ने सुझाव दिया था कि अध्ययन का उद्देश्य न केवल प्रत्यक्ष नुकसान, बल्कि ऊर्जा, जल संसाधनों और आय के नुकसान के रूप में निविष्टियां(इनपुट्स) में कमी को भी उजागर करता है । अध्ययन में 5 अथवा 10 विशिष्ट फलों और सब्जियों के प्रकारों का चयन किया जाएगा, पूरे क्षेत्रों में, पोस्ट हार्वेस्ट की अक्षमताओं की कोल्ड-चेन के भीतर और बिना मैपिंग की जाएगी, और रिपोर्ट को नीति निर्माताओं के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करने के लिए संरचित किया जाएगा, ताकि भविष्य की नीति दिशा निर्धारित करने में सहायता की जा सके । बैंक के साथ आगे की बातचीत लंबित है क्योंकि अंतिम अवधारणा नोट विश्व बैंक को आबंटित संसाधनों और आगे की कार्रवाई की समीक्षा के तहत है ।

जी) उद्योग सहयोग :

एन.सी.सी.डी. के नए परिसरों में हितधारकों के साथ आपसी संवाद की पहल की गई थी । गतिरोधों, नीति प्रभाव और अन्य एन.सी.सी.डी. मामलों के निपटान हेतु बैठकें आयोजित की गई थी । एन.सी.सी.डी. ने बी2बी(दिल्ली से सदस्य लॉयड इंसुलेशन सहित) में इंडो-यू.एस. सहयोग(कोलेबोरेशन) का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप एक ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड था, जिसके लिए परीक्षण वर्ष 2014 में जल्दी पूरा हो गया ।

एन.एच.एम. की एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के रूप में एन.सी.सी.डी. ने वार्षिक कार्य योजना के लिए किए आबंटन से रु.41.33 लाख रुपए खर्च किए । यह एन.एल.ए. के रूप में गतिविधियों का पहला वर्ष था ।

आई. एन.सी.सी.डी.-उद्देश्य एवं विषयपरक

एन.सी.सी.डी. एक पंजीकृत सोसायटी है, जो सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोड के तहत स्वायत्त तरीके से कोल्ड-चेन पर प्रबुद्ध मंडल(थिंक टैंक) के रूप में कार्य करती है और सरकार के बिना किसी लागत के संचालित करती है । प्रारंभ में सरकार द्वारा पूंजी प्रदान की गई थी और एन.सी.सी.डी. के उद्देश्य सिफारिश देना, सुझाव देना, आकलन करना, समन्वय करना, सुविधा देना और बढ़ावा(फोस्टर) देना है :

- पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन सहित कोल्ड-चेन आधारिक संरचना/भवन के लिए मानकों और प्रोटोकॉलों की सिफारिश करना ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रैक्टिसों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और कोल्ड-चेन उद्योग द्वारा प्रदान किए आधारिक संरचना/भवन, प्रक्रिया और सेवाओं के बेंचमार्किंग और प्रमाणन के लिए तंत्र का सुझाव देना ।
- संभावित निवेशकों/उद्यमियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सांकेतिक दिशा-निर्देश सुझाना ।
- कोल्ड-चेन आधारिक संरचना के लिए उपयुक्त आई.टी. आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का मूल्यांकन और विकास करना ।
- हितधारकों के परामर्श से कोल्ड-चेन उद्योग के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास(आर एंड डी) कार्य करना और समन्वय करना ।
- मानव संसाधन विकास(एच.आर.डी.) और क्षमता निर्माण के कार्य को शुरू करना और समन्वय करना । यह कोल्ड-चेन विकास के लिए संबंधित इन-हाउस प्रशिक्षण, अल्पकालिक/दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित कर सकता है ।
- हितधारकों को एकीकृत कोल्ड-चेन के लाभों के बारे में जागरूक करने तथा शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू करना ।
- कोल्ड-चेन के विकास से संबंधित उचित नीतिगत ढांचे की सिफारिश करना ।
- विकारी(पेरिशेबल कृषि. बागवानी और संबद्ध वस्तुओं के लिए बहु-मॉडल परिवहन सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकारी(पेरिशेबल) वस्तुएं ग्रीन ग्रिड की स्थापना करना ।

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

मार्च, 2014

जे. एन.सी.सी.डी. की कार्यकारिणी(स्टेट्स)

क्र.सं.	नाम एवं पता	पदनाम
1	सचिव कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	अपर सचिव(प्रभारी बागवानी) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य (दिनांक 7-1-2003 जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
3	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
4	संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य (दिनांक 7-1-2003 जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
5	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव, हरियाणा	समिति सदस्य
6	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पद से कम नहीं), रेल भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
7	प्रबंध निदेशक सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया हौज खास, नई दिल्ली- 110016	समिति सदस्य
8	चेयरमैन-सी II टास्क फोर्स ऑन कोल्ड-चेन कॉफेडेरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्राउंड फ्लोर, कोर 4A इंडियन हेबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	समिति सदस्य
9	मुख्य कार्यकारी अधिकारी फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कॉनकोर एच.एस.आई.आई.डी.सी इंडस्ट्रियल इस्टेट राय, सोनीपत-131029 (हरियाणा)	समिति सदस्य
10	निदेशक, एन.सी.सी.डी.	सदस्य सचिव

(जब तक कोष्ठक में अन्यथा नहीं कहा जाता है, एन.सी.सी.डी. के उपनियमों के अनुसार)

मार्च, 2014

के. एन.सी.सी.डी. की शासी परिषद(स्टेट्स)

क्र.सं.	नाम	सोसायटी में पदनाम
1	सचिव कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
2	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002	पदेन सदस्य
3	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
4	संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
5	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव का प्रतिनिधि, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव, हरियाणा	पदेन सदस्य
7	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पद से कम नहीं), रेल भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8	अध्यक्ष – ए.पी.ई.डी.ए. एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9	प्रबंध निदेशक सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया हौज खास, नई दिल्ली- 110016	पदेन सदस्य
10	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी./निजी सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
11	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी./निजी सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
12	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज(एफ.आई.सी.सी.आई.) के प्रतिनिधि, फेडरेशन हाउस,तानसेन मार्ग, नई दिल्ली- 10001	सदस्य
13	निदेशक, एन.सी.सी.डी.	सदस्य सचिव

(एनसीसीडी के उपनियमों के अनुसार जब तक अन्यथा न कहा जाए)

एल. वर्ष 2013-14 में एन.सी.सी.डी. भागादरी के साथ कायर्क्रमों, कार्यशालाओं की सूची

तिथि	स्थान	शीर्षक	आयोजक
3 अप्रैल 2013	यू.आई.सी. सम्मेलन केंद्र पेरिस	कोल्ड-चेन स्थिरता और नवाचार (प्लेनरी-गेस्ट ऑफ ऑनर) पर आईआईआर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	आई.आई.आर.
2 मई 2013	पी.एच.डी.हाउस दिल्ली	पीएचडीसीसीआई कोल्ड-चेन संगोष्ठी	पीएचडीसीसीआई
21 मई 2013	बैंकॉक	निवेश गोलमेज सम्मेलन	डीआईपीपी
23 मई 2013	ओबराय,नई दिल्ली	इंडो-डच सम्मेलन	डच सरकार
17 जुलाई 2013	कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली	राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन	एन.एच.एम.
29-30 जुलाई - 13	अहमदाबाद	कोल्ड-चेन निवेशों पर वरिष्ठ अधिकारियों हेतु नाबार्ड कार्यशाला	नाबार्ड
31-जुलाई-2013	दिल्ली	हितधारक परामर्श-एमओएफपीआई	एफआईसीसीआई-एमओएफपीआई
6 अगस्त 2013	नोएडा	साउथ एशिया के लिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला, ई-लर्निंग प्रोग्राम	अमिटि विश्वविद्यालय
29 अगस्त 2013	नोएडा	यू.एस.ए.आई.डी., यू.सी. डेविस विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया	अमिटि विश्वविद्यालय
23 अगस्त 2013	बैंगलोर	एनसीसीडी "फॉर्म टू फोर्क" सम्मेलन	एनसीसीडी-मीडिया टुडे
3-सितंबर-2013	दिल्ली	भारत के लिए नीदरलैंड आर्थिक मिशन-खाद्य सुरक्षा	डच सरकार
10-सितंबर-2013	गुजरात	वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर शिखर सम्मेलन	गुजरात सरकार
4 अक्तूबर 2013	डी.आर.डी.ओ., मुख्यालय, नई दिल्ली	कूलिंग नवाचार और अनुप्रयोगों पर डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यशाला	रक्षा मंत्रालय
4 अक्तूबर 2013	नई दिल्ली	विकास हेतु कृषि एवं खाद्य पर ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप(एपीपीजी) से संसद सदस्य	ब्रिटिश उच्च आयोग
22 अक्तूबर 2013	मुंबई	बिल्डिंग वेयरहाउसिंग प्रतिस्पर्धा पर सम्मेलन	सीआईआई-आईएल
6 दिसंबर 2013	आई.एच.सी, दिल्ली	आईएचसी में बीआईएम टेक सम्मेलन	बी.आई.एम.टी.
11-13 नवंबर 2013	शिलांग	कार्यशाला कोल्ड-चेन विकास एमबीआईई/एबीडीए	एमबीआईई/एमबीडीए
22-नवंबर-13	दिल्ली	कोल्ड-चेन फार्मा लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन	निसपाना
11-दिसंबर-2013	पी.एच.डी. चैंबर, नई दिल्ली	पीएचडी चैंबर, कोल्ड-चेन संगोष्ठी	पीएचडीसीसीआई
13दिसंबर 2013	गुवाहटी	गुवाहटी में कोल्ड-चेन विकास पर राज्य स्तरीय कार्यशाला	एसएचएम, असम
18-19 दिसंबर 2013	आगरा	आगरा(18-19 दिसंबर 2013) में एक्सपो और कोल्ड-चेन सम्मेलन	एनसीसीडी- आईसीई
3-जनवरी-2014	एम.एन.आर.ई., सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली	डीएसी योजनओं पर कोल्ड-चेन और अद्यतन में वैकल्पिक ऊर्जा अनुप्रयोग	एमएनआरई
7-जनवरी-2013	दिल्ली	एग्री आधारित कोल्ड-चेन और लॉजिस्टिक्स में कनाडा भारत सहयोग	पीएचडी
16 जनवरी 2014	पुणे	पुणे में रेफकॉन संगोष्ठी आईएसएचआरएई	आईएसएचआरएई
24-जनवरी-2013	दिल्ली	XIIवीं योजना हेतु एनएचएम कार्यशाला	एन.एच.एम.
20-21 जनवरी; 30-31 जनवरी; 5-6 फरवरी 2014	आंध्रप्रदेश	आंध्रप्रदेश(20-21 जन.-हैदराबाद; 30-31 जन.-वारंगल; 5-6 फर.-विजयवाड़ा) में रिपेनिंग चैंबर्स हेतु तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनसीसीडी-सामागारा
28-29 जनवरी 2014	इटानगर,अरुणाचल प्रदेश	कोल्ड-चेन विकास पर राज्य स्तरीय कार्यशाला	अरुणाचल प्रदेश सरकार

तिथि	स्थान	शीर्षक	आयोजक
4 फरवरी 2014	दिल्ली	अफ्रीका एशिया शिखर सम्मेलन	एफआईसीसीआई
9-13 फरवरी 2014	नागपुर	वैंडिग कार्ट आपूर्ति चेन फर्म सहित कृषि वसंत किसान सम्मेलन	कृषि मंत्रालय
18 फरवरी 2014	दिल्ली	आईसीसी इंडियन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स शिखर सममेलन t	आईसीसी
21- फरवरी -14	चंडीगढ़	अंतरराष्ट्रीय हॉर्टी सम्मेलन	मीडिया ट्रेड
22-24 फरवरी; 8-10 मार्च; 22-24 मार्च 2014	चेन्नई	चेन्नई में एनसीसीडी कार्यक्रम	एनसीसीडी-डानफोस्स
13 मार्च 2014	आई.आई.सी. दिल्ली	'डेयरी प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादकता और सुरक्षा में वृद्धि' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	एन.पी.सी
24-28 मार्च 2014	दिल्ली	Intnl Workshop on "पेरिशबल एग्रीफूड उत्पादों के लिए कोल्ड-चेन सिस्टम का विकास", पर आंतरिक कार्यशाला, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	एपीओ-एनसीसीडी-एनपीसी

वर्ष 2013-14 में एन.सी.सी.डी. की प्रत्यक्ष भागीदारी वाले कार्यक्रम ।

एम. प्रयुक्त संक्षिप्ति एवं परिभाषाएं

ए.पी.ई.डी.ए. निर्यात विकसित करने के अधिदेश के साथ वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और जो कोल्ड-चेन आधारिक संरचना का विकास भी करता है।

डी.ए.सी. कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय

डी.आर.डी.ओ. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय

ई.सी. कार्यकारिणी : समिति जो संगठन के कार्यकारी कार्यों का निर्णय करती है ।

जी.सी. शासी परिषद् : परिषद जो कार्यकारी की देखरेख करती है और नीतिगत निर्णय लेती है ।

एम.एन.आर.एफ. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

एम.ओ.एफ.पी.आई. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय : कोल्ड-चेन सब्सिडी कार्यक्रमों को भी लागू करता है ।

एन.ए.बी.ए.आर.डी. नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट

एन.सी.सी.डी. राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र : सार्वजनिक एवं निजी हितधारकों का एक समाज, जो कृषि मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक पूंजी प्रदान करता है और सरकार को किसी भी कीमत पर प्रतिबंधित नहीं किया, सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में स्वायत्त तरीके से कार्य करना ।

एन.एच.बी. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड : वाणिज्यिक बागवानी के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना ।

एन.एच.एम. राष्ट्रीय बागवानी मिशन : बागवानी विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।

एन.एल.ए. राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी :एम.आई.डी.एच. द्वारा संगठनों को तकनीकी और ज्ञान सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ पहचाना गया । एन.एल.ए. योजना को लागू नहीं करते हैं, लेकिन कार्य योजना की स्वीकृति के बाद विशिष्ट सहायता कार्यों के लिए संसाधन नियतन किए जाते हैं ।

एन.ओ.सी.डी. कोल्ड-चेन विकास के लिए नोडल अधिकारी : एम.आई.डी.एच. द्वारा एन.सी.सी.डी. के साथ कोल्ड-चेन मामलों पर संपर्क एवं समन्वय करने हेतु अधिकारियों को नामित करने के लिए राज्य मिशनों से अनुरोध किया जाता है।

एन.पी.सी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अधीन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

पी.पी.पी. सार्वजनिक निजी भागीदारी । आमतौर पर यह आधारिक संरचना परियोजनाओं में देखा जाता है जहां एक रियायतकर्ता सरकारी सहयोग के रूप में भूमि और निधियों का उपयोग करता है, और परियोजना रियायत अवधि के अंत में सरकार को वापस कर देता है । एन.सी.सी.डी. के मामले में इसका अतिरिक्त अर्थ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संयुक्त नेतृत्व संरचना के माध्यम से संचालन और कार्यों को संयुक्त रूप से व्यवस्थित करते हैं, जहां प्रशासन सरकार के अधीन है और कार्यकारी निर्णय उद्योग नेतृत्व में हैं ।

एस.एच.एम. राज्य बागवानी मिशन : केंद्रीयकृत प्रायोजित एन.एच.एम. योजना की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी

उमेश अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2014 तक राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी), नई दिल्ली के लिए संलग्न तुलनपत्र तथा आय और व्यय लेखा का लेखापरीक्षा किया है, जो कि सोसायटी द्वारा रखे गए खाते की पुस्तकों के अनुसार हैं । ये वित्तीय विवरण सोसायटी प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है ।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकार लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है । उन मानकों की आवश्यकता है कि हम वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण से मुक्त उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं । इस लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में अमाउंट्स और खुलासे का समर्थन करने वाले परीक्षण के आधार पर जांच शामिल है । इस लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और सोसायटी प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा लेखापरीक्षा हमारी राय और रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

उपर्युक्त विषय और संलग्न अन्य टिप्पण लेखा के साथ पढ़ें, हम रिपोर्ट करते हैं कि -

(क) तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखा सोसायटी द्वारा बनाए रखी गई पुस्तकों के साथ हैं ।

(ख) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे आवश्यक थे ।

(ग) हमारी राय में, सोसायटी द्वारा अभी तक खातों की उचित पुस्तकें रखी गई हैं, क्योंकि यह उसकी परीक्षा से प्रकट होती है ।

(घ) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त कथन सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं -

(i) 31 मार्च, 2014 को सोसायटी के मामलों की स्थिति के तुलनपत्र के मामले में ।

(ii) तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता के अधिशेष के मामले ।

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
हस्ता./-
(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनरशिप सदस्यता नं086294
फर्म रजि. क्रमांक 010325एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

सी -117 गली न.- 8 कांति नगर एक्सटेंशन दिल्ली - 110051

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2014 के अनुसार तुलनपत्र

(धनराशि रु. में)

पूंजीगत निधि और देयताएं	टिप्पणियाँ	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<u>पूंजीगत निधि एवं देयताएं</u> :			
पूंजीगत निधि	1	25,00,00,000.00	25,00,00,000.00
जनरल निधि(आरक्षित और अधिशेष)	2	3,33,79,016.00	1,37,63,321.00
वर्तमान देयताएं	3	2,05,93,368.00	51,74,490.00
स्थायी परिसंपत्तियां		96,275.34	1,82,658.40
कुल		**30,40,68,659.34**	**26,91,20,469.40**
<u>परिसंपत्तियां</u> :			
स्थायी परिसंपत्तियां - कोन्ट्रा	4	96,275.34	1,82,658.40
निवेश - अन्य	5	27,66,06,258.00	25,30,37,500.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम, आदि	6	2,73,66,126.00	1,59,00,311.00
कुल		**30,40,68,659.34**	**26,91,20,469.40**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियां	11		

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
हस्ता./-
(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र(एन.सी.सी.डी.)

(श्री जीशान अहमद)	(श्री एस. कौल)	(श्री संजीव चोपड़ा)
लेखा प्रबंधक	सहायक निदेशक	कार्यकारी निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(धनराशि रु. में)

विवरण	टिप्पणियाँ	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय :			
फीस / अशंदान	7	39,48,002.00	3,40,600.00
ब्याज अर्जित	8	2,53,72,521.00	1,83,58,014.00
अन्य आय	9	11,40,000.00	0.00
कुल (ए)		**3,04,60,523.00**	**1,86,98,614.00**
राजस्व व्यय :			
स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	10	39,05,731.00	7,25,282.00
परिवहन प्रभार		4,90,451.00	2,17,035.00
राजस्व व्यय :			
स्थायी परिसंपत्तियां	4	22,656.00	2,57,887.00
कुल (बी)		**44,18,838.00**	**12,00,204.00**
व्यय से अधिक आय का बैलेंस होना (ए-बी)		2,60,41,685.00	1,74,98,410.00
घटाएं : आयकर प्रावधान		64,25,990.00	46,06,790.00
जनरल रिजर्व में अंतरित		**1,96,15,695.00**	**1,28,91,620.00**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियां 11

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र(एन.सी.सी.डी.)

हस्ता./-

(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)	(श्री जीशान अहमद)	(श्री एस. कौल)	(श्री संजीव चोपड़ा)
पार्टनर	**लेखा प्रबंधक**	**सहायक निदेशक**	**कार्यकारी निदेशक**

सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र का हिस्सा बना नोट

नोट '1': पूंजीगत निधि का विवरण

(धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	25,00,00,000.00	25,00,00,000.00
कुल	**25,00,00,000.00**	**25,00,00,000.00**

नोट '2': सामान्य निधि

(धनराशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार प्रारंभिक शेष	1,37,63,321.00	8,71,701.00
जोड़े : व्यय से अधिक आय की अधिकता	2,60,41,685.00	1,74,98,410.00
घटाएं : आयकर प्रावधान	64,25,990.00	46,06,790.00
31 मार्च, 2014 को सामान्य निधि में शेष राशि	**3,33,79,016.00**	**1,37,63,321.00**

नोट '3': वर्तमान देयताओं का विवरण

(धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विविध लेनदार	17,20,691.00	1,38,190.00
देय व्यय	78,08,984.00	50,36,300.00
एन.एल.ए. निधि(प्रतिदेय)	1,08,66,878.00	0.00
अन्य चालू देयताएं	1,96,815.00	0.00
कुल	**2,05,93,368.00**	**51,74,490.00**

नोट '5' : (अन्य निवेश) मियादी जमा

(धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
एफ.डी.आर.		
एफ.डी.आर. पर अर्जित ब्याज और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में एफ.डी.आर	27,66,06,258.00	25,30,37,500.00
कुल	**27,66,06,258.00**	**25,30,37,500.00**

नोट '6' चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम **(धनराशि रु.में)**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ए. चालू परिसंपत्तियां		
बैंक : स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2,33,94,134.00	1,44,00,298.00

बी. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
टी.डी.एस. मूल्यांकन वर्ष 2013-14	15,00,013.00	15,00,013.00
टी.डी.एस. मूल्यांकन वर्ष 2014-15	24,71,979.00	--
कुल	**2,73,66,126.00**	**1,59,00,311.00**

नोट '7' : सदस्यता शुल्क **(धनराशि रु.में)**

सदस्य का प्रकार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सदस्यता शुल्क	39,48,002.00	3,40,600.00
कुल	**39,48,002.00**	**3,40,600.00**

नोट '8' : अर्जित ब्याज **(धनराशि रु.में)**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
टर्म डिपॉजिट्स पर :		
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में एफ.डी.आर पर ब्याज	2,47,19,246.00	1,50,00,000.00
बचत खाता पर :		
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में	6,53,275.00	1,00,519.00
इंडियन ओवरसीज बैंक में	0.00	32,57,495.00
कुल	**2,53,72,521.00**	**1,83,58,014.00**

नोट '9' : अन्य आय **(धनराशि रु.में)**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
परियोजना मूल्यांकन	11,40,000.00	--
कुल	**11,40,000.00**	--

नोट '10' : स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय

(धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
लेखांकन प्रभार	29,944.00	10,000.00
बैंक प्रभार	635.00	160.00
परामर्श शुल्क	7,000.00	--
आयकर विभाग को ब्याज	7,00,000.00	--
वेतन एवं वेजेज	23,88,717.00	6,37,032.00
कार्यालय व्यय	57,070.00	20,000.00
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	93,778.00	30,000.00
दौरा एवं यात्राएं	3,53,210.00	--
विज्ञापन व्यय	2,27,116.00	--
ढुलाई(कार्टेज)	10,064.00	--
बैठक एवं सेमीनार व्यय	4,490.00	--

टेलीफोन एवं इंटरनेट	1,717.00	--
टी.डी.एस. पर पेनाल्टी	3,900.00	--
प्रोफेशनल प्रभार	28,090.00	28,090.00
कुल	**39,05,731.00**	**7,25,282.00**

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र(एन.सी.सी.डी.)

हस्ता./-

(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)	**(श्री जीशान अहमद)**	**(श्री एस. कौल)**	**(श्री संजीव चोपड़ा)**
पार्टनर	**लेखा प्रबंधक**	**सहायक निदेशक**	**कार्यकारी निदेशक**

सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र का हिस्सा बना नोट

नोट '4': स्थायी परिसंपत्तियां

(धनराशि रु.में)

विवरण	ब्लॉक	डब्ल्युडीवी को	जोड़(एडीशन)		बिक्री	कुल को	मूल्यह्रास के लिए	डब्ल्युडीवी
			30/9/12 तक	30/9/12 के बाद				
		01.04.2012		**0.00**		**31.03.2013**	चालू वर्ष	**31.03.2013**
वाटर डिस्पैंशर	15%	8,787.50	0.00	0.00		8,787.50	1,318.13	7,469.38
माइक्रोवेव	15%		11,025.00	0.00		11,025.00	1,653.75	9,371.25
मोबाइल	15%		11,631.00	0.00		11,631.00	1,744.65	9,886.35
उप योग		**8,787.50**	**22,656.00**	**0.00**		**31,433.50**	**4,716.53**	**26,726.98**
कंप्यूटर्स	60%	1,29,109.40		0.00		1,29,109.40	77,465.64	51,643.76
लैपटॉप	60%	44,761.50		0.00		44,761.50	26,856.90	17,904.60
उप योग		**1,73,870.90**		**0.00**		**1,73,870.90**	**1,04,322,54**	**69,548.36**
कुल		**1,82,658.40**		**0.00**	**0.00**	**2,05,314.40**	**1,09,039.07**	**96,275.34**

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी **कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

हस्ता./-

(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)	(श्री जीशान अहमद)	(श्री एस. कौल)	(श्री संजीव चोपड़ा)
पार्टनर	**लेखा प्रबंधक**	**सहायक निदेशक**	**कार्यकारी निदेशक**

सदस्यता संख्या 086294

एफआरएन: 010325एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र, नई दिल्ली

31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली
लेखांकन नीतियां और लेखे पर टिप्पणियां(नोट्स टू अकाउंट्स)

नोट 11 :

लेखांकन नीतियां

1) खातों को लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के बाद एक ऐतिहासिक कंसर्न के आधार पर तैयार किया जाता है और प्रोद्भूत आधार पर आय और व्यय को मान्यता देता है । आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के साथ, अन्यथा लेखाकंन नीतियां को स्वीकार किया गया है।

2) वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियां खरीद के वर्ष में आय और व्यय खाते में प्रभारित की जाती हैं और साथ ही उन पर प्रत्यक्ष और वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए स्थायी परिसंपत्तियां निधि खाता के तहत तुलनपत्र को अंतरित किया जाता है ।

3) लागत पर निवेश को महत्व लिया जाता है ।

4) विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदान राशि को अलग से दिखाया गया है और आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है । व्यक्तिगत योजना(योजनाओं) के मापदंडो के अनुसार प्रशासनिक शुल्क और सेवा शुल्क और ऐसी निधियों में जमा धनराशि के ब्याज से आय को सोसायटी की आय के रूप माना जाता है और आय एवं व्यय खाते में जमा किया जाता है ।

लेखे पर टिप्पणियां(नोट्स टू अकाउंट्स)

1) पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से एकत्र किया गया है, जहां कभी तुलनीय बनाने की आवश्यकता होती है ।

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

हस्ता./-

(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)	(श्री जीशान अहमद)	(श्री एस. कौल)	(श्री संजीव चोपड़ा)
पार्टनर	लेखा प्रबंधक	सहायक निदेशक	कार्यकारी निदेशक

सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014